न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—08/2017/223 (2017/00008)

1. हनुमान पुत्र रोडू,
2. छोटू पुत्र बिरदाराम,

दोनों जाति जाट, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1- लक्ष्मण पुत्र नानू, जाति जाट, निवासी उगरियावास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर

रेस्पोडेंट

2. रामकरण पुत्र श्योबक्श,
3. भोलू पुत्र श्योबक्श,
4. मांगीलाल पुत्र रामदेव,
5. राजू पुत्र रामदेव,
6. महावीर पुत्र रामदेव,
7. हीरा पत्नि रामदेव,
8. अर्जुन पुत्र किशना,
9. मदन पुत्र किशना,
10. घीसी पत्नि किशना,
11. गणेश पुत्र बिरदा,
12. हरलाल पुत्र बिरदा,
13. गोरधन पुत्र बिरदा,
14. रामनारायण पुत्र बिरदा,
15. कमलेश पुत्र रामू,
16. मुकेश पुत्र रामू,
17. सुन्दर देवी पुत्री रामू,
18. राजादेवी पत्नि रामू,
19. दाखा पुत्री बिरदा,
20. झमकू पत्नि रोडू,

समस्त जाति जाट, निवासी उगरियावास, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।

21. रतन पुत्र धन्ना,
22. भागचंद पुत्र धन्ना,
23. जयराम पुत्र रोडू,
24. नारायण पुत्र रोडू,
25. श्योकरण पुत्र रोडू,
26. सूरजकरण पुत्र रोडू,
27. भूरीदेवी पुत्री रोडू,
28. केसरदेवी पुत्री रोडू,

समस्त जाति जाट, निवासी गोपालपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

29. गोपाल पुत्र सुवालाल, जाति जाट, निवासी उगरियावास, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
30. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू दिनांक 15.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 21/2014.

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री चन्द्रभूषण सिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 20. 26, 28 व 29.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 19, 21 से 23 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 24-9-2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत् बंटवारा विरूद्ध अपीलांटस व अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1436, 1437, 1453 लगायत 1456, 1458 लगायत 1464, 1466 लगायत 1480 कुल किता 28 कुल रकबा 14.60 है0 भूमि ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में निम्न प्रकार अंकित है । रामकरण पुत्र श्योबक्स 1/8 हिस्सा रहन भोलूराम पुत्र श्योबक्स हिस्सा 1/8 राहिन एस0बी0आई0 शाखा बगय मुर्तहीन रामदेव पुत्र किशना हिस्सा 3/70 बिना रहन, अर्जुन, मदन पि0 किशना हिस्सा 3/35 राहिन एस0बी0बी0जे0 शाखा फुलेरा मुर्तहीन घीसी ध0प0 स्व0 किशना हिस्सा 1/28 बिना रहन, गोपाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 3/70, रतन, भागचंद पि0 धन्नालाल हिस्सा 3/70 राहिन बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा झरना मुर्तहीन गणेश, हरलाल, गोरधन, छोटूलाल, रामनारायण पि0 बिरधाराम, कमलेश, मुकेश पि0 रामू, सुन्दर पुत्री रामू, नाबा0 सरंक्षक राजा पत्नि रामू, मलक, दाखा पुत्रिया बिरधाराम हिस्सा 1/6, झमकू पत्नि रोडूराम, जयराम, नारायण, श्योकरण, हनुमान, सूरजकरण पि0 रोडूराम, भूरीदेवी, केसरदेवी पुत्रियां बोदूराम हिस्सा 1/6 बिना रहन, लक्ष्मण पुत्र नानू हिस्सा 1/6 राहिन जे0टी0जी0बी0 महला मुर्तहीन, जाति जाट सा0 गोपालपुरा खातेदार । उक्त खातेदार में से रामदेव पुत्र किशना जो 3/70 हिस्से का खातेदार था उसका स्वर्गवास हो गया उसके हिस्से के प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 हकदार है । विवादित आराजियात अविभाजित है जिसका विधिवत् तकासमा नहीं हो रखा है । पक्षकारान हिस्सेनुसार आराजी काश्त करते है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 31 जो संयुक्त हिस्सेदार है की नियत में फितूर आ गया है और वह वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने व आराजी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है तथा की कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है। अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आरायिजात आराजी खाता संख्या 444 के खसरा नंबर 1436, 1437, 1453 लगायत 1456, 1458 लगायत 1464, 1466 लगायत 1480 कुल किता 28 कुल रकबा 14.6000 वाके ग्राम उगरियावास का तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स एवं मौके के कब्जे के आधार पर वादी का हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी अलग–अलग किया जाकर फाटबंदी करायी जाकर नक्शे कुरैजात

मंगवाये जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाकर वादी के हिस्से में बाद तकासमा जो आराजी आवे का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित यिका जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 15.6.2016 को वाद स्वीकार वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 19 गलकू पुत्र बिरदा की मृत्यु हो चुकी थी, की प्रोपर तामील मानते हुए दावा डिक्री किया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है । वाद में गलकू के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में वाद अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य था परन्तु अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री पारित कर गंभीर त्रुटि कारित की है । प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र व नक्शा प्रस्तुत किया था जिस पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने भी हस्ताक्षर किये थे तो उक्त प्रार्थना पत्र के विपरीत जाकर अधी0न्याया0 द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की है वह निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा कब्जे अनुसार वाद डिक्री किया गया है इसलिये सभी पक्षकारान द्वारा उपजाऊ एवं कीमती जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे पक्षकारान के मध्य आपस में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो रही है इसलिये निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर विधि अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स बंटवारा किया जाना चाहिये । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी स्वंय ने अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार बंटवारा चाहा है एवं विभाजन में प्राप्त होने वाली आराजियात का कब्जा प्राप्त करने की भी प्रार्थना की है । ऐसी स्थिति में उक्त वाद मौके पर कब्जे अनुसार डिक्री नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2016 को कैम्प कोर्ट में बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये पारित की गई है जिससे अपीलांटस को निर्णय व डिक्री की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी । इसके पश्चात् अपीलांटस द्वारा बार–बार नकल प्राप्त करने का प्रयास किया गया परन्तु कैम्प की फाईलें नहीं मिल पाने से निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी । अपीलांटस को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 20, 26, 28 व 29 ने अपीलांटस की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के

गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलांटस एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर विवादित आराजियात में रामकरण पुत्र श्योबक्स हिस्सा 1/8, भोलूराम पुत्र श्योबक्स हिस्सा 1/8, रामदेव पुत्र किशना हिस्सा 3/70, घीसी पत्नि स्व0 किशना हिस्सा 1/28, गोपाल पुत्र सुवालाल हिस्सा 3/70, रतन, भागचंद पि0 धन्नालाल हिस्सा 3/70, गणेश, हरलाल, गोरधन, छोटूलाल, रामनारायण पि0 बिरधाराम, कमलेश, मुकेश पि0 रामू, सुन्दर पुत्री रामू नाबा0 सरंक्षक राजा ध0प0 स्व0 रामू, गलकू, दाखां पुत्रियां बिरधाराम हिस्सा 1/6, झमकू पत्नि रोडूराम, जयराम, नारायण, श्योकरण, हनुमान, सुरजकरण पि0 रोडूराम, भूरीदेवी, केसरदेवी पुत्रियां बोदूराम हिस्सा 1/6, लक्ष्मण पुत्र नानू हिस्सा 1/6 होने का कथन कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारे की डिक्री का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद प्राथमिक डिक्री कर विवादित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 31 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा की डिक्री पारित की है जबकि वादी ने अधी0न्याया0 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 को प्राथमिक डिक्री में समस्त खातेदारों के हिस्सो का स्पष्ट अंकन कर हिस्से अनुसार बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री पारित न कर मौके पर काबिज अनुसार तकासमा की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र बाबत् सहमति के आधार पर तकासमा कराने का प्रश्न है । यद्यपि उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान के हस्ताक्षर है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा तस्दीकशुदा नहीं है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.6.2016 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्से अनुसार तकासमा की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24-9-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर